(5)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(7)राज/वाद/17 जयपुर, दिनांक 28/2/18

:: आदेश::

कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना 5 (51) कार्मिक/क–2/88, दिनांक 31.12.96 के तहत श्री अवेज़ आफरीदी पुत्र स्व0 श्री वहीदुद्दीन आफरीदी, जन्म तिथि 15.10.1995 व शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण, जाति–मुसलमान, निवासी–आफरीदी मंजिल, संजय–सी, कॉलोनी प्रताप नगर, जोधपुर को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्यालय राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर में कनिष्ठ सहायक(लिपिक ग्रेड–II) के रिक्त पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।

उक्त नियुक्ति वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी तथा उक्त पद पर की गई नियुक्ति उक्त शर्तो के साथ–साथ निम्न शर्तो के अध्याधीन भी होगी:–

1. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017, दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसूची–4 के नियम 16 के संबंधित लेवल L–5 के अनुसार परिवीक्षाकाल अवधि में नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) रू. 14600/– प्रतिमाह की दर से देय होंगे।
2. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हे कनिष्ठ सहायक (क्लर्क ग्रेड–II) के नियमित वेतन श्रृंखला वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 द्वारा, राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची–प्रथम, पार्ट–बी के नियम नियम–5(vi) और (vii) के पे–मेट्रिक्स के अनुसार लेवल L-5 के सेल नं0–1 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होगें।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन(फिक्स पे) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
4. राज्य सरकार के परिपत्र पं.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होगें। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इनके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम, 17 की अनुसूची–4 के नियम 16, नोट क्रमांक–4 के अनुसार प्रति वर्ष 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे।
6. परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नही होगें।
7. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 द्वारा नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण–पोषण नहीं करने की स्थिति में तत्काल सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.07.10, परिपत्र दिनांक 21.09.2010 एवं परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 02.01.17 के अनुसार मृतक आश्रित कर्मचारी को कम्प्यूटर योग्यता 02 वर्ष में अर्जित करना अनिवार्य है और यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं की जाती है, तो जितनी विलम्ब अवधि से कम्प्यूटर योग्यता अर्जित की जायेगी, परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि के लिए आगे बढ़ जायेगा।
9. अभ्यर्थी को मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.08.10 व 21.09.10 के अनुसार भाषा विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर से टंकण परीक्षा नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष के अन्दर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। नियत अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. आदेश जारी होने को दिनांक से 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

26.2.18

(आशुतोष कुमार मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक: 682 दिनांक 14.09.17 के क्रम में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री अवेज़ आफरीदी पुत्र स्व0 श्री वहीदुद्दीन आफरीदी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इन्हें कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) के पद पर कार्य ग्रहण कराते हुए इस विभाग को अवगत करावे।
4. कोषाधिकारी, जोधपुर।
5. श्री अवेज़ आफरीदी पुत्र स्व0 श्री वहीदुद्दीन निवासी–आफरीदी मंजिल, संजय–सी, कॉलोनी प्रताप नगर, जोधपुर।
6. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
7. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

28.2.18

(रीटा तेजपाल)
विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण